97

न्यायालय राजस्व मण्डल सर्किट कोर्ट रीवा जिला रीवा (म0प्र0)

Rs. 30/-

विश्राम कोरी उम्र 75 वर्ष पिता श्री साधू कोरी निवासी ग्राम गभुआनी 124 तहसील सिरमौर जिला रीवा म0प्र0। ....निगरानीकर्ता

R 5003 ‑ II/17

अधि0 श्री ग्राम करतिवारी द्वारा पेश। 03-01-17

बनाम

1. शुभकरण कोरी पिता साधू कोरी निवासी निवासी ग्राम गभुआनी 124 तहसील सिरमौर जिला रीवा म0प्र0।
2. शासन म0प्र0

...........................गैरनिगरानीकर्तागण

निगरानी विरूद्ध आदेश राजस्व निरीक्षक वृत्त बैकुण्ठपुर तहसील सिरमौर जिला रीवा म0प्र0 प्रकरण कमांक 92/अ-12/2015-16। 15.6.16

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू0 राजस्व संहिता 1959 ई0।

मान्यवर,

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य

यह कि प्रार्थी/निगरानीकर्ता आराजी नंबर 89, 161/2/1 एवं 165/1/1 स्थित ग्राम गभुआनी तहसील सिरमौर जिला रीवा म0प्र0 का भूमिस्वामी एवं काबिजधारी है गैर निगरानीकर्ता कमांक 1 का मकान आराजी नंबर 90 स्थित ग्राम गभुआनी के 1/3 हिस्से पर बना हुआ है

प्रकरण क्रमांक 5003–दो/2017 निगरानी जिला – रीवा

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
11/8/17	यह निगरानी राजस्व निरीक्षक वृत्त बैकुण्ठपुर तहसील सिरमौर जिला रीवा दारा प्रकरण कमांक 92 अ–12/2015–16 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 15–6–16 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। निगरानी की प्रचलनशीलता पर आवेदक के अभिभाभाषक के प्रारंभिक तर्क सुने जा चुके हैं। प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया।	
	2/ आवेदक के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव प्रस्तुत अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि अनावेदक कमांक–1 के आवेदन पर उसके स्वामित्व की ग्राम गभुआनी स्थित भूमि सर्वे कमांक 89, 161/2/1, 165/1/1 का हलका पटवारी ने मेढ़िया कास्तकारों को सूचना देते हुये दिनांक 24–6–15 को सीमांकन किया है, जिस पर मेढ़िया कास्तकारों को सूचना की गई है । किसी प्रकार की आपत्ति न आने पर राजस्व निरीक्षक ने आदेश दिनांक 15–6–16 से सीमांकन को अंतिमता प्रदान की है जिसके विरूद्ध यह निगरानी है। आवेदक के अभिभाषक की आपत्ति है कि गलत सीमांकन करके गलत नक्शा ट्रेस के आधार पर आवेदक की भूमि को प्रभावित किया गया है एंव गलत सीमांकन किया गया है। विचार योग्य है कि यदि आवेदक किये गये सीमांकन	

से सन्तुष्ट नहीं है तब वह अपनी भूमि का सीमांकन अधीक्षक भू अभिलेख / सहायक अधीक्षक भू अभिलेख से कराने हेतु स्वतंत्र है जिसके कारण अनावेदक की भूमि के हुये सीमांकन में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है।

3/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव राजस्व निरीक्षक वृत्त बैकुण्ठपुर तहसील सिरमौर जिला रीवा दारा प्रकरण क्रमांक 92 अ–12/2015–16 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 15–6–16यथावत् रखा जाता है।

सदस्य